कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-104/2017-18/

दिनांक : /01/2018

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी

नगर पा लका परिषद, श्रीनगर

वषय : नगर पा लका परिषद, श्रीनगर का वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 04 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 104/2017-18/ दिनांक : /01/2018

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून

2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.एल.शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री संजय ओझा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **03.11.2014** से **22.11.2014** तक श्री सुशील बहुगुणा, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें **2011-12** से **2013-14** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **09.00 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **20,091**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **09**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **12 बैठकें प्रतिवर्ष**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **03**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **60**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **कार्यालय भवन, 06 कर्मचारी आवास एवं दुकानें**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	11747519	15974048	45309349	41862678	24571260	12872059	0	15194190	0	27673249
2015-16	15194190	27673249	46997521	47476334	15094164	25660473	0	14715377	0	17106940
2016-17	14715377	17106940	47070812	50844389	16387123	13319604	0	10941800	0	20174459
कुल योग			**139377682**	**140183401**	**56052547**	**51852136**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	6471000	6471000	4314000	2157000
2	राज्य वित्त आयोग	10151125	37245000	47396125	34978344	12417781
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	3847579	4200	3851779	550	3851229
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	सांसद निधि	650000	475000	1125000	375000	750000
6	जिला पर्यटन	1141838	0	1141838	0	1141838
7	विधायक निधि	2191685	194000	2385685	867456	1518229
8	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	4067000	0	4067000	0	4067000
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	9858000	9858000	0	9858000
10	JnNURM	4026643	201468	4228111	516000	3712111
11	मेला निधि	49303	6367592	6416895	5799053	617842
12	चारधाम यात्रा	0	1000000	1000000	1000000	0
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1596394	8064349	9660743	6884334	2776409
	कुल योग	**27721567**	**69880609**	**97602176**	**54734737**	**42867439**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	2157000	6215000	8372000	8372000	0
2	राज्य वित्त आयोग	12417781	37245000	49662781	39729319	9933462
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	3851229	4369	3855598	630	3854968
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	100000	100000	0	100000
5	सांसद निधि	750000	600000	1350000	0	1350000
6	जिला पर्यटन	1141838	0	1141838	0	1141838
7	विधायक निधि	1518229	272300	1790529	1788734	1795
8	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	4067000	0	4067000	0	4067000
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	9858000	0	9858000	4977033	4880967
10	JnNURM	3712111	144099	3856210	2474000	1382210
11	मेला निधि	617842	6558396	7176238	6848076	328162
12	चारधाम यात्रा	0	1200000	1200000	1200000	0
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	2776409	9752521	12528930	7747015	4781915
	कुल योग	**42867439**	**62091685**	**104959124**	**73136807**	**31822317**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	10127000	10127000	5259628	4867372
2	राज्य वित्त आयोग	9933462	37245000	47178462	46474794	703668
3	अवस्थापना विकास निधि (ब्याज सहित)	3854968	120082	3975050	68	3974982
4	स्वच्छ भारत मिशन	100000	426635	526635	439506	87129
5	सांसद निधि	1350000	0	1350000	1344493	5507
6	जिला पर्यटन	1141838	0	1141838	0	1141838
7	विधायक निधि	1795	309000	310795	310795	0
8	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	4067000	0	4067000	0	4067000
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	4880967	0	4880967	142967	4738000
10	JnNURM	1382210	58433	1440643	203000	1237643
11	मेला निधि (ब्याज सहित)	328162	3845973	4174135	4119147	54988
12	चारधाम यात्रा	0	1500000	1500000	1500000	0
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	4781915	9825812	14607727	4369595	10238132
	कुल योग	**31822317**	**63457935**	**95280252**	**64163993**	**31116259**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	6471000	6471000	4314000	2157000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	2157000	6215000	8372000	8372000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	10127000	10127000	5259628	4867372
2014-15	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	4026643	201468	4228111	516000	3712111
2015-16	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	3712111	144099	3856210	2474000	1382210
2016-17	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	1382210	58433	1440643	203000	1237643
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	100000	100000	0	100000
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	100000	426635	526635	439506	87129

भाग II-'ब'

प्रस्तर 01: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `2,11,256/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद, श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के चयनित निर्माण कार्यों की जाँच (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | चयनित निर्माण कार्यों की जाँच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार **20** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`2,11,25,627/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`2,11,256/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे

बताया कि संलग्नक में लिखित निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`2,11,256/-** की वसूली संबन्धित ठेकेदारों से करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2014-15 से 2016-17 तक)								
क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
						जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	2014-15	सांसद निधि	श्री संजय कुमार गुप्ता	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	344327	3443	0	3443
2	2014-15	राज्य वित्त	श्री शिव प्रसाद शर्मा	वार्ड नं. 05 ग्लास हाउस रोड बुघानी मार्ग में रावत जी के मकान से भट्ट जी के मकान तक नाले व पुलिया का निर्माण कार्य	1048617	10486	0	10486
3	2014-15	राज्य वित्त	श्री विक्रम सिंह चौधरी	वार्ड नं. 01 में सिंचाई विभाग कॉलोनी श्री शंकरलाल के मकान से श्री बडोनी के मकान तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	1019358	10194	0	10194
4	2014-15	राज्य वित्त	श्री विमल खण्डूड़ी	वार्ड नं. 01 एजेंसी मोहल्ला में धर्मानंद नौटियाल के मकान के सामने क्षतिग्रस्त पुस्ता एवं सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	516563	5166	0	5166
5	2014-15	केन्द्र वित्त	श्री रवीन्द्र सिंह पंवार	वार्ड नं. 03 कंसमर्दनी मार्ग पर अलकनंदा विहार जाने वाले तिराहे से निरंकारी सत्संग भवन तक नाली का पुनर्निर्माण कार्य	745229	7452	0	7452
6	2014-15	केन्द्र वित्त	श्री विक्रम सिंह चौधरी	वार्ड नं. 02 जिला सहकारी बैंक से हनुमान मन्दिर तक एवं श्री खण्डूड़ी के मकान से रावत प्रोविज़न स्टोर तक नाली मरम्मत का निर्माण कार्य	605275	6053	0	6053
7	2014-15	राज्य वित्त	श्री देवेन्द्र सिंह कठैत	पौड़ी रोड से शीतलामाता मन्दिर मार्ग के मध्य सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	1361476	13615	0	13615

8	2015-16	विधायक निधि	श्री दिनेश चमोली	वार्ड नं. 09 शान्ति विहार में श्री बहुगुणा जी के मकान से धस्माना जी के मकान तक प्रीमिसींग सड़क एवं के.सी.टाइप कर्ब स्टोन नाली निर्माण कार्य	479325	4793	0	4793
9	2015-16	राज्य वित्त	श्री विक्रम सिंह चौधरी	वार्ड नं. 02 में शिशुमंदिर से बांसबाड़ा होते हुए मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग तक नाली, स ड़क एवं पुस्ता निर्माण	965513	9655	0	9655
10	2015-16	राज्य वित्त	श्री मुकेश नैथानी	वार्ड नं. 08 में महेन्द्र असवाल के घर से रतूड़ी, उनियाल जी के घर तथा बहुगुणा जी के घर तक सड़क नाली निर्माण कार्य	1025418	10254	0	10254
11	2015-16	राज्य वित्त	श्री विक्रम सिंह चौधरी	वार्ड नं. 06 मिस्त्री मोहल्ला में नालियों एवं सड़कों का मरम्मत कार्य	1635571	16356	0	16356
12	2015-16	केन्द्र वित्त	श्री भूपाल सिंह पंवार	वार्ड नं. 03 विश्वविद्यालय कर्मचारी कॉलोनी से बद्रीनाथ मठ तक 01 मी. डाया हयूम पाइप बिछाने एवं सड़क निर्माण कार्य	2180868	21809	0	21809
13	2016-17	सांसद निधि	श्री विक्रम सिंह चौधरी	वार्ड नं. 09 में श्रीयंत्रधार पर शवदाह गृह हेतु पूर्ण क्षतिग्रस्त टाल के शेड का निर्माण	832218	8322	0	8322
14	2016-17	सांसद निधि	श्री विक्रम सिंह चौधरी	श्रीनगर में पार्क निर्माण कार्य	799937	7999	0	7999
15	2016-17	राज्य वित्त	श्री रवीन्द्र सिंह नेगी	वार्ड नं. 07 केदार मोहल्ला में राणा जी के मकान से नेगी जी के मकान होते हुए नाले तक सी.सी.सड़क एवं हयूम पाइप द्वारा पानी निकासी कार्य	956707	9567	0	9567
16	2016-17	राज्य वित्त	श्री शिवबल्लभ घिडिल्याल	वार्ड नं. 09 शक्ति विहार में रमा चौधरी के मकान से मन्दिर तक तथा गौड़ जी के मकान तक के.सी. टाइप नाली निर्माण	789485	7895	0	7895

17	2016-17	राज्य वित्त	श्री भूपाल सिंह पंवार	वार्ड नाम. 01 कोठड़ में विजेंद्र बिष्ट से अजय बिष्ट, शेर सिंह से दयाल सिंह एवं पन्त के मकान तक सी.सी. सड़क एवं ब्रेस्टवाल निर्माण व सम्राट होटल के सामने नाली का पुनर्निर्माण कार्य	1083045	10830	0	10830
18	2016-17	केन्द्र वित्त	श्री विक्रम सिंह चौधरी	वार्ड नं. 01 कोठड़ में पदमेन्द्र सिंह बिष्ट जी के घर तक सी.सी., श्री शंकर रूडोला के मकान के बगल तक एवं देवलोक होटल के बगल की गलियों तथा डाक बंगला में सेमवाल जी के मकान को जाने वाली सड़क/नाली निर्माण कार्य	1556269	15563	0	15563
19	2016-17	केन्द्र वित्त	श्री देवेन्द्र सिंह कठैत	वार्ड नं. 07 कमलेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग से गुरु रामराय स्कूल के आगे पुराने पोस्ट ऑफिस वाली गली में तथा श्री जटाधर सेमवाल के घर के पास नाली निर्माण कार्य	1588736	15887	0	15887
20	2016-17	केन्द्र वित्त	श्री रवीन्द्र सिंह नेगी	वार्ड नं. 03 सन्त निरंकारी भवन से बस स्टेशन की तरफ तक एवं उद्यान विभाग के पीछे रावत जी के घर के पास सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	1591690	15917	0	15917
				कुल योग	**21125627**	**211256**	**0**	**211256**

भाग II-'ब'

प्रस्तर 02: गृहकर एवं दुकान किराये की वसूली `67.11 लाख का लम्बित रहना |

गृहकर एवं दुकान किराया किसी भी नगर पालिका की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

नगर पालिका परिषद, श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर तथा दुकान किराये की वसूली की गई:-

तालिका 1: गृहकर वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	1960521	19324	1979845	596487 **(30%)**	1383358
02.	2015-16	1383358	3745951	5129309	1694494 **(33%)**	3434815
03.	2016-17	3434815	1872976	5307791	1581235 **(30%)**	3726556

तालिका 2: दुकान किराया वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	2089116	2356542	4445658	2440481 **(55%)**	2005177
02.	2015-16	2005177	3303966	5309143	2688054 **(51%)**	2621089
03.	2016-17	2621089	2936548	5557637	2574002 **(46%)**	2983635

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर एवं दुकान किराये की कुल बकाया धनराशि **`67.11 लाख {(गृहकर `37.27 लाख+दुकान किराया `29.84 लाख)}** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **30** से **33** प्रतिशत तथा दुकान किराये के रूप में केवल **46** से **55** प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17 जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कर्मचारियों की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण पूर्ण वसूली नहीं हो पा रही है | पूर्ण वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः गृहकर एवं दुकान किराये की बकाया वसूली `67.11 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो (ब)

प्रस्तर 3: नगर पालिका द्वारा `53.32 लाख की धनराशि से क्रय किए गए वाहनों का पंजीकरण व बीमा न कराया जाना।

मोटर वाहन एक्ट 1988 के अध्याय IV की धारा 39 के अनुसार समस्त वाहनों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके अनुसार" No person shall drive any motor vehicleand no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven inanypublic place or in any other place unless the vehicle is registered in accordancewith thisChapter and the certificate of registration of the vehicle has not been suspended or cancelled and the vehicle carries a registration mark displayed in theprescribed manner:Provided that nothing in this section shall apply to a motor vehicle inpossession of a dealer subject to such conditions as may be prescribed by the CentralGovernment".

नगर पालिका परिषद श्रीनगर के वाहनों से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई के पास उपलब्ध निम्न-लिखित वाहनो के क्रय किए जाने की तिथि से डेढ़ वर्ष से सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी लेखापरीक्षा तिथि (दिसंबर 2017) तक पंजीकरण एवं वाहन बीमा नहीं किया गया था जबकि उक्त वाहनों का संचालन निरंतर रूप से सार्वजनिक स्थानों पर किया जा रहा था: -

क्रमांक	**वाहन का प्रकार**	**क्रय तिथि**	**क्रय मूल्य**
1.	टाटा सुपर ऐश BS-4	12/05/2016	5,24,083.00
2.	टाटा 407 (विधयुत हाइड्रोलिक)	29/07/2010	10,66,076.00
3.	ट्रेक्टर (Escorts)	30/03/2011	6,54,752.00
4.	कांपेक्टर वाहन	21/09/2011	19,63,785.00
5.	टाटा ACE–II	23/11/2012	561637.00
6.	टाटा ACE–II	23/11/2012	561637.00
		कुल योग =	**53,31,970.00**

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में उक्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा वाहनों का पंजीकरण न किया जाना मोटर वाहन एक्ट 1988 का उल्लंघन है। वाहनों के बीमा नहीं किए जाने के कारण किसी दुर्घटना/वाहन चोरी होने की दशा में किसी प्रकार का दावा/प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है।

अतः **`53.32 लाख** धनराशि की लागत से क्रय वाहनों के पंजीकरण व वाहन बीमा न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4: `24.80 लाख की लागत के वाहनों का लंबे समय से निष्प्रयोज्य पड़े रहना।

नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के वाहनों संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई के पास उपलब्ध निम्नलिखित वाहन लंबे समय से उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। पालिका बोर्ड द्वारा भी 24 अगस्त 2015 की बैठक निर्णय लिया गया कि उक्त वाहनों के निष्प्रयोजित घोषित किए जाने के संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी से रिपोर्ट प्राप्त कर उनकी नीलामी की जाए।: -

क्रमांक	वाहन	पंजीकरण संख्या	क्रय तिथि	क्रय मूल्य
1.	एंबुलेंस	UA-12A 2812	19/01/2004	**623610.00**
2.	ट्रक	UP-06 5718	23/12/1999	**418485.00**
3.	ट्रैक्टर	UP-06 5628	03/09/1999	**273000.00**
4.	ट्रैक्टर	UP-06 4250	21/07/1997	**250000.00**
5.	बस	UK-12 PA 0049	14/09/2009	**915000.00**
			कुल योग =	**2480095.00**

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपरोक्त वाहनों का विगत पाँच वर्षों से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने हेतु बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर R. T. O. को पत्र प्रेषित किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त वाहन विगत पाँच वर्षों से प्रयोग में नहीं लाये जा रहे थे एवं समय बीतने के साथ ही वाहनों के मूल्यों में ह्रास हो रहा था। लंबे समय से प्रयोग में नहीं लाये जाने के उपरांत समय पर नीलामी की कार्यवाही न किया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद- पौड़ी गढ़वाल** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2014-15** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **13 दिसम्बर 2017** से **20 दिसम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-414/2014-15	प्रस्तर संख्या 01 से 02	प्रस्तर संख्या 01 से 07	प्रस्तर संख्या 01 से 01

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-414/ 2014-15	**भाग 4 (ब) – I प्रस्तर संख्या 2**: दुकान किराये की लम्बित वसूली `20.89 लाख	दुकान किराये की मार्च 2017 तक की अवशेष धनराशि की अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है	अतः अद्यतन स्थिति के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें		दुकान किराये की मार्च 2017 तक की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर उसे भाग-दो(ब) के प्रस्तर संख्या 02 में सम्मिलित कर प्रतिवेदित किया गया है		उक्त प्रस्तर को इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर एवं दुकान किराये की मार्च 2017 तक की अद्यतन स्थिति के आधार पर निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है	
	भाग 4 (ब) –दो प्रस्तर संख्या 4: भवन कर की लम्बित वसूली `19.61 लाख	भवनकर की मार्च 2017 तक की अवशेष धनराशि की अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है	अतः अद्यतन स्थिति के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें		भवनकर की मार्च 2017 तक की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर उसे भाग-दो(ब) के प्रस्तर संख्या 02 में सम्मिलित कर प्रतिवेदित किया गया है		उक्त प्रस्तर को इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर एवं भवनकर की मार्च 2017 तक की अद्यतन स्थिति के आधार पर निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

सामान्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री बद्री प्रसाद भट्ट	अधिशासी अधिकारी	07.02.14 से 01.07.14 तक
02.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	अधिशासी अधिकारी (कार्यवाहक)	01.07.14 से 10.07.14 तक
03.	श्री आशीष बिष्ट	अधिशासी अधिकारी	10.07.14 से 16.01.15 तक
04.	श्री डी.एस.राणा	अधिशासी अधिकारी	16.01.15 से 19.06.15 तक
05.	श्री बद्री प्रसाद भट्ट	अधिशासी अधिकारी	20.06.15 से 05.11.15 तक
06.	श्री पी.के.बंसल	अधिशासी अधिकारी	06.11.15 से 24.07.17 तक
07.	श्री एस.पी.गुप्ता	अधिशासी अधिकारी	24.07.17 से वर्तमान तक
08.	श्री विपिन चन्द्र मैठानी	अध्यक्ष	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/49 दिनांकित 22.12.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय